


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राधिका देवी, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़
जैतुन बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0-136 एल.आर.एक्ट

मुकदमा न0 2/...../2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.19	<p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से जांच बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज. रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम भापर के भूमि ख.नं. 835/620, 592, 191 में मिनिया पुत्र गप्पूर हि0 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजस्त के आधार पर प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम मिनिया पुत्र गप्पूर के बजाय यामिन पुत्र गफूर दुरुस्त किये जाने की अभिशंभा की गई है।</p> <p>- तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भापर के भूमि ख.नं. 835/620, 592, 191 में मिनिया पुत्र गप्पूर के बजाय यामिन पुत्र गफूर दुरुस्त किये जाने की नाम दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़</p>	

